01. भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 14.09.2020 में लिए गये निर्णयों की कार्यवाही विवरण की प्रगति व पुष्टि –

क्र. सं.	बिन्दु	निर्णय	पालना	पुनर्निर्णय
1	भिवाड़ी शहर में थोक फल सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक करने हेतु	प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 665 कुल रकबा 10.75 है0 में से आंशिक भूमि पर प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित थोक फल सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन व्यापक जनहित को दृष्टिगत् रखते हुए मध्यम घनत्व आवासीय से व्यवसायिक किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार स्तरीय समिति को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में बाबा मोहनराम थोक फल सब्जी मण्डी का प्राधिकरण द्वारा लेआउट स्वीकृत कर रेरा में पंजीकरण कराया जा चुका है।	–
2	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी क्षेत्राधिकार में प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि पर राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना–3सी के अन्तर्गत नवीन योजनाओं के सृजन के संबंध में	प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3(सी) में प्राधिकरण की योजना स्वीकृत किये जाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति ली जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार स्तरीय समिति को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में 02 प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं।	–
3	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की आय बढाने हेतु नई योजनाओं का सृजन किये जाने के संबंध में	प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में नवीन योजनाओं का सृजन भूमि अवाप्ति प्रक्रिया के अनुसार भूमि के बदले विकसित भूमि दी जाकर एवं राज्य सरकार द्वारा जारी Land Pooling Act 2016 के तहत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही क्षेत्र में वेयरहाउस की मांग को दृष्टिगत् रखते हुए वेयरहाउस योजना के सृजन की संभावनायें तलाशने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही प्रकियाधीन है।	–
4	भिवाड़ी शहर में प्रस्तावित स्टेडियम का निर्माण किये जाने के संबंध में	प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी द्वारा सृजित सैक्टर–3ए में खेल स्टेडियम हेतु आरक्षित भूमि को प्रस्तावानुसार भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, नगर परिषद भिवाड़ी एवं रीको की सहभागिता से विकसित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही प्रकियाधीन है।	–
5	भिवाड़ी शहर में सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना किये जाने के संबंध में	प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। भिवाड़ी में सार्वजनिक पुस्कालय एवं वाचनालय की सुविधायें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों व उद्योगों द्वारा CSR दायित्वों के तहत करवाई जाने की संभावनायें तलाशे जाने के उपरांत शीघ्र स्थापित कराये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही प्रकियाधीन है।	–

		लिया गया।		
6	भिवाड़ी शहर में बाबा मोहनराम काली खोली पर बायोडाईवर्सिटी पार्क (Amusement Park) की स्थापना किये जाने के संबंध में	प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। भिवाड़ी में बाबा मोहनराम काली खोली के पास ग्राम मिलकपुर गुर्जर के खसरा नम्बर 850, 851 एवं 854 में बायोडायर्वसिटी पार्क विकसित कराये जाने के संबंध में संभावनायें तलाशे जाने के साथ ही बीडा भिवाड़ी द्वारा कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवाई जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही प्रकियाधीन है।	–
7	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी में नवीन पद सृजन की स्वीकृति बाबत	प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं प्रस्तावित नये पद सृजन करने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।	बैठक में लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार द्वारा पद सृजित किये जा चुके है।	–
8	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में E-Services स्थापित करने एवं उनके सुचारू संचालन हेतु IT Consultant की सेवायें लिये जाने के संबंध में	प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं IT Consultant की सेवायें निविदा या एन.आई.सी./डी.ओ.आई.टी. के सूचीबद्व विशेषज्ञ के माध्यम से लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही प्रकियाधीन है।	–
9	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में नगर नियोजन शाखा से संबंधित तकनीकी कार्य करने एवं उनके सुचारू संचालन हेतु Consultant की सेवायें लिये जाने के संबंध में	प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं नगर नियोजन संबंधी तकनीकी कार्य हेतु अरबन प्लानर/वास्तुविद, जी.आई.एस. विशेषज्ञ एवं कैड ऑपरेटर की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं द्वारा निविदा के माध्यम से लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही प्रकियाधीन है।	–
10	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में राजस्व प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र में सलाहकार की सेवायें लिये जाने के संबंध में	प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं राजस्व प्रबंधन संबंधी कार्य हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं को निविदा/EOI के माध्यम से लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही प्रकियाधीन है।	–
11	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी द्वारा "महेश चंद तिवारी" के खिलाफ प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज करवाये जाने के संबंध में	प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं श्री महेश चंद तिवारी (निवासी 3/36, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिवाड़ी) द्वारा Negotiable Instrument Act, 1881 की धारा 138 एवं Breach of Trust या Breach of Contract का उल्लंघन करने पर श्री तिवारी के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही किये जाने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना की जा चुकी है।	–

02. भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 03.02.2021 में लिए गये निर्णयों की कार्यवाही विवरण की प्रगति व पुष्टि –

क्र. सं.	बिन्दु	निर्णय	पालना	पुनर्निर्णय
1	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी में स्वीकृत सहायक विधि परामर्शी के पद को उप विधि परामर्शी में अपग्रेड किये जाने बाबत।	प्रकरण में समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं प्राधिकरण की वर्तमान एवं भविष्य की विधिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत् रखते हुए पूर्व में स्वीकृत सहायक विधि परामर्शी के पद को उप विधि परामर्शी के पद में अपग्रेड करवाये जाने हेतु सहमति प्रदान कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।	–
2	भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण में समझौते के आधार पर अर्जित भूमि के मुआवजे स्वरूप विकसित भूखण्ड दिये जाने के नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्रों को अपनाये जाने हेतु	प्रकरण में समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं प्राधिकरण द्वारा निजी खातेदारों से अर्जित एवं अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे के भुगतान स्वरूप विकसित भूमि देने के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी/जारी होने वाले आदेश/परिपत्रों को यथावत (ADOPT) किये जाने, निजी भूमि के खातेदार/स्वामी/हितधारी से समझौता करने व अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु प्राधिकरण स्तर पर उपरोक्तानुसार समिति का गठन किये जाने की सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।	–
3	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी में नवीन पद सृजन की स्वीकृति बाबत	प्रकरण में समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं बीडा भिवाड़ी के कार्यालय की आवश्यकतानुसार नगर नियोजन शाखा में प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक के 03 नवीन पदों को सृजन कराने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।	–
4	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में प्रचलित मास्टर प्लान में उपान्तरण (Modification) किये जाने बाबत	प्रकरण में समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं निम्न बिंदूओं पर सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया– 1. प्राधिकरण क्षेत्र में सड़कों के समुचित नेटवर्क के विकास हेतु समझौते के आधार पर अर्जित भूमि के मुआवजे स्वरूप आवंटन, निर्माण कार्यों व अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मास्टर प्लान रोड़ नेटवर्क में दर्शित सभी सड़कों पर निर्धारित सड़क चौड़ाई के साथ–2 दोनो ओर 1.5 गुणा चौड़ाई में मास्टर प्लान में दर्शित भू–उपयोग (ग्रीन बफर, प्रतिबंधित श्रेणी के भू–उपयोग के अतिरिक्त) के स्थान पर मिश्रित भू–उपयोग भू–पट्टी रखी जावे।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।	–

		2. शाहजहापुर–नीमराना–बहरोड अरबन कॉम्पलैक्स 2041 के प्रचलित मास्टर प्लान में आवश्यक आधारभूत सामाजिक एवं भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु 60 मीटर चौड़ाई में दर्शित Sub Arteria/Behror Ring Road के बाह्य भाग में (हाईवे कन्ट्रोल जोन के अतिरिक्त) एवं अलवर–बहरोड़ संपर्क सड़क (राज्य राजमार्ग संख्या 14) पर सड़क की चौड़ाई एवं ग्रीन बैल्ट के अतिरिक्त 500 मीटर चौड़ाई में मिश्रित भू–उपयोग भू–पट्टी रखी जावे। 3. प्रचलित मास्टर प्लान ग्रेटर भिवाडी 2041 एवं शाहजहापुर–नीमराना–बहरोड अरबन कॉम्पलैक्स 2041 में औद्योगिक भू–उपयोग में ट्रांसपोर्ट नगर को अनुज्ञेय किये जावे।		
5	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में अभियांत्रिकी शाखा से संबंधित तकनीकी कार्य करने एवं उनके सुचारू संचालन हेतु Consultant की सेवायें लिये जाने के संबंध में	भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में अभियांत्रिकी संबंधी तकनीकी कार्य हेतु तकनीकी सहायक (सिविल व विद्युत अभियंता) तथा लिपिकीय कार्यो हेतु दक्ष सहायकों की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं द्वारा निविदा/सलाहकार के माध्यम से लिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	–

03. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में प्रचलित मास्टर प्लान में प्राधिकरण की योजना सृजन हेतु प्रस्तावित भूमि का उपयोग राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 19(2) के अनुसार निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के कुल 321 ग्रामों में तीन मास्टर प्लान क्रमशः ग्रेटर भिवाडी 2041, शाहजहापुर–नीमराना–बहरोड अरबन कॉम्पलैक्स 2041 व न्यू टाउनशिप तिजारा ड्राफ्ट के अन्तर्गत अधिसूचित है। भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण व सुनियोजित विकास हेतु नवीन आवासीय/व्यावसायिक/संस्थानिक योजनाओं का सृजन एवं मास्टर/जोनल प्लान अनुसार सड़कों के समुचित नेटवर्क का विकास चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा नवीन योजनाओं का सृजन, मास्टर प्लान व सैक्टर प्लान में दर्शित सड़कों के निर्माण हेतु भूमि, निजी खातेदारों से नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के तहत अवाप्ति/समझौते के आधार पर अर्जित की जानी प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रानुसार मुआवजे स्वरूप आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि यथासंभव उसी जगह (निर्मित भवन होने पर जहां भवन स्थित हो) आवंटित की जायेगी, जहां पर भूमि समर्पित कराई गई थी, साथ ही जिस चौडाई की सड़क हेतु भूमि समर्पित कराई जायेगी यथासंभव उसी चौड़ाई की सड़क पर भूमि आवंटन का प्रयास किया जायेगा। भूमि के बदले विकसित भूखण्ड़ समर्पित भूमि के स्थान पर उपलब्ध नही होने की स्थिति में अन्यत्र भूमि दी जा सकती है। परंतु समर्पित भूमि एवं आवंटित भूमि की डी.एल.सी. दरों में समानता न होने पर खातेदारों द्वारा प्राधिकरण को समुचित सहयोग न किये जाने का अंदेशा रहता है।

प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के प्रचलित मास्टर प्लानों के सड़क नेटवर्क के अधिकांश भाग में सड़कों की चौड़ाई के साथ–2 विभिन्न भू–उपयोग यथा आवासीय, औद्योगिक, संस्थानिक, ग्रीन बफर, परिधी नियंत्रण क्षेत्र आदि दर्शित है। मास्टर प्लान की सड़कों को विकसित करने पर सड़क

के दोनों तरफ भिन्न भू–उपयोग के अन्तर्गत दर्शित भूमि में व्यावसायिक एवं आवासीय भू–उपयोग की विकसित भूमि दिया जाना संभव नही है तथा खातेदारों द्वारा भी औद्योगिक, संस्थानिक, परिधी नियंत्रण क्षेत्र के भू–उपयोग में विकसित भूमि लिये जाने में रूचि अत्यंत कम रहती है।

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 13(1) में वर्णितानुसार "A Master Development Plan shall generally indicate the manner in which the use of land in the area of the Special Investment Region shall be regulated' and also indicate the manner in which the development of land therein shall be carried out".

यह स्पष्ट है कि मास्टर प्लान, भूमि के उपयोग को विनियमित करने की रीति सामान्यतः (generally) ही उपदर्शित करता है तथा क्षेत्र में विकास योजनाऐं अनुपातिक रूप से सूक्ष्म स्तर पर निर्धारित की जानी है।

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 19 से 21 Development Scheme संबंधी प्रक्रिया का वर्णन करती है। धारा 19(2)(a) में वर्णितानुसार –

"The Development Scheme may make provisions for any or all of the following matters, namely:- (a) the manner in which the Regional Development Authority proposes use of land in the Special Investment Region or the periphery, whether by carrying out development thereon or otherwise and the stages by which any such development is to be carried out".

यह स्पष्ट है कि राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 में Development Scheme के माध्यम से use of land प्रस्तावित करने का विशेष प्रावधान निहित है।

उक्त धारा 19 से 21 के प्रावधानों अंतर्गत Development Schemes से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़कों के लगते हुए भाग में ही एकीकृत सड़क परियोजना (यथा 30 मी0/45 मी0/60 मी0 मास्टर प्लान सड़क परियोजना) सृजित कर मास्टर प्लान में वर्णित भू–उपयोग से इतर भिन्न भू–उपयोग (मिश्रित) किया जाना प्रस्तावित है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रावधानों का उपयोग UDPFI गाइडलाइन्स की अनुमत सीमा तक ही किया जाना प्रस्तावित है तथा भविष्य में बनाये जाने वाले जोनल डवलेपमैंट प्लान में प्रस्तावित/किये गये परिवर्तनों को समायोजित कर लिया जायेगा।

प्रस्ताव : धारा 19(2)(क) का उपयोग करते हुए प्राधिकरण क्षेत्र में सड़कों के समुचित नेटवर्क के विकास हेतु अवाप्ति/समझौते के आधार पर अर्जित भूमि के मुआवजे स्वरूप आवंटन, निर्माण कार्यों व अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मास्टर प्लान रोड़ नेटवर्क में दर्शित सभी सड़कों पर निर्धारित सड़क चौड़ाई के साथ–2 दोनो ओर 1.5 गुणा चौड़ाई में मास्टर प्लान में दर्शित भू–उपयोग (ग्रीन बफर, प्रतिबंधित श्रेणी के भू–उपयोग के अतिरिक्त) के स्थान पर मिश्रित भू–उपयोग भू–पट्टी रखी जानी प्रस्तावित है।

अतः राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 19(2)(क) में वर्णितानुसार, भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में प्रचलित मास्टर प्लान में बीडा की स्वयं की योजनाओं (यथा मास्टर प्लान सड़क/सेक्टर प्लान सड़क) के सृजन हेतु भूमि का उपयोग उपरोक्तानुसार निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव, राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने से पूर्व कार्यकारिणी समिति में सहमति प्राप्त करने के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

***निर्णय** : कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 19(2)(क) में वर्णितानुसार, भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में प्रचलित मास्टर प्लान में बीडा की स्वयं की योजनाओं (यथा मास्टर प्लान सड़क/सेक्टर प्लान सड़क) के सृजन हेतु भूमि का उपयोग उपरोक्तानुसार निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।*

04. उद्योग (ग्रुप–1) विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.2020 द्वारा बीडा में कार्यरत् प्रशासनिक व लेखाधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों में संशोधन किये जाने बाबत।

उद्योग (ग्रुप–1) विभाग के आदेश क्रमांक प.28(18)उद्योग/1/2020 दिनांक 05.08.2020 द्वारा भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी में कार्यों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु बीडा में कार्यरत प्रशासनिक व लेखाधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

उद्योग (ग्रुप–1) विभाग के आदेश क्रमांक प.28(19)उद्योग/1/2020 दिनांक 05.08.2020 द्वारा प्रशासनिक व लेखाधिकारियों को क्रम संख्या 01 पर निम्नानुसार शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है –

Sr. No.	Nature of Power	To whom delegated	Power
1	Administrative & Financial approval to execute Project, Scheme/Works incl. repairs and maintenance/refunds	Public Works Committee / BIDA Board	Above Rs. 2.00 Crore
		CEO, BIDA Bhiwadi	Upto Rs. 2.00 Crore

क्रम संख्या 01 में Nature of Power कॉलम में उल्लेखित विवरण में प्राधिकरण में प्रोजेक्ट, विकास कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति प्रदान करने हेतु लोक निर्माण समिति/बीडा बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा भिवाड़ी को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। परंतु Procurement of Goods and Services हेतु प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति प्रदान करने बाबत शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया गया है। अतः भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी में कार्यों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु बीडा में कार्यरत प्रशासनिक व लेखाधिकारियों को Procurement of Goods and Services बाबत शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है –

Sr. No.	Nature of Power	To whom delegated	Power
1	Administrative & Financial approval for the Procurement of Goods and Services for BIDA, Bhiwadi	Public Works Committee / Executive Committee / BIDA Board	Full power
		CEO, BIDA Bhiwadi	Upto Rs. 2.00 Crore

अतः भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी में कार्यों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु बीडा में कार्यरत प्रशासनिक व लेखाधिकारियों को Procurement of Goods and Services बाबत शक्तियों का प्रत्यायोजन किये जाने का प्रस्ताव, राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने से पूर्व कार्यकारिणी समिति में सहमति प्राप्त करने के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

***निर्णय** : कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी में कार्यों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु बीडा में कार्यरत प्रशासनिक व लेखाधिकारियों को Procurement of Goods and Services बाबत शक्तियों का प्रत्यायोजन किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।*

05. भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) में निविदा के माध्यम से लिये जाने वाले विशेष दक्षता, कौशल रखने वाले व्यक्तियों या सलाहकारों, यथा अरबन प्लानर/वास्तुविद, जी.आई.एस. विशेषज्ञ, ऑटोकैड ऑपरेटर, तकनीकी सहायक (अभियंता), सहायक (लिपिक), लेखा सहायक एवं तकनीकी सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) हेतु पारिश्रमिक निर्धारित किये जाने के कम में।

भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 14.09.2020 में नगर नियोजन संबंधी तकनीकी कार्य हेतु अरबन प्लानर/वास्तुविद, जी. आई.एस. विशेषज्ञ एवं कैड ऑपरेटर की सेवायें तथा कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 03.02.2021 में अभियांत्रिकी संबंधी तकनीकी कार्य हेतु तकनीकी सहायक (सिविल व विद्युत अभियंता) तथा लिपिकीय कार्यो हेतु दक्ष सहायकों की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं द्वारा निविदा/सलाहकार के माध्यम से लिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 10(ञ) में वर्णितानुसार क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपने कर्तव्यों के अनुपालन में इसकी सहायता करने के लिए विशेष ज्ञान या कौशल रखने वाले व्यक्तियों या सलाहकारों को लगाया जा सकेगा।

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 10(ञ) में वर्णितानुसार एवं भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की कार्यकारिणी समिति में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में उक्त कार्मिक निविदा के माध्यम से लिये जाने प्रस्तावित है, जिसके लिए कार्मिकों की योग्यताएं तथा पारिश्रमिक निम्नानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है –

क्र. सं.	सेवा का नाम	न्यूनतम योग्यता	प्रस्तावित पारिश्रमिक
1.	अरबन प्लानर/ वास्तुविद	(I) टाउन/सिटी/अरबन/रिजनल/हाउसिंग/कन्ट्री/इन्वायरमेन्टल/ट्रांसपोर्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर/रूरल में आयोजना में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ आयोजना के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव एवं स्नातक की उपाधि के साथ आयोजना के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।	35,000/–
		(II) आर्किटेक्चर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि के साथ आर्किटेक्चर के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।	30,000/–
2.	जी.आई.एस विशेषज्ञ	(I) जियोग्राफिकल इन्फोंमेशन सिस्टम/रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित निकायों में अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र में निजी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव	30,000/–
		(II) जियोग्राफिकल इन्फोंमेशन सिस्टम/रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में डिप्लोमा के साथ जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित निकायों में अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र में निजी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव।	21,000/–
3.	ऑटोकैड ऑपरेटर	ड्राफ्टसमैनशिप में आई.टी.आई./आर्किटेक्चर में डिप्लोमा/इन्टिरियर डिजाईन में डिग्री अथवा डिप्लोमा के साथ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।	15,000/–
4.	तकनीकी सहायक (अभियंता)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल/विद्युत अभियांत्रिकी में 3 वर्षिय डिप्लोमा के साथ अभियांत्रिकी के संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव अथवा अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि	23,000/–
5.	कार्यालय सहायक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि के साथ लिपिकीय कार्यों में तीन वर्ष का अनुभव तथा हिंदी (30 शुद्ध शब्द टंकन प्रति मिनट) व अग्रेंजी (40 शुद्ध शब्द टंकन प्रति मिनट) टंकन दक्षता अनिवार्य।	15,500/–
6.	लेखा सहायक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य संकाय में स्नातक की उपाधि के साथ लेखा संबंधित कार्यों में तीन वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य।	18,000/–

7.	तकनीकी सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक की उपाधि के साथ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों में तीन वर्ष का अनुभव तथा हिंदी (30 शुद्ध शब्द टंकन प्रति मिनट) व अग्रेंजी (40 शुद्ध शब्द टंकन प्रति मिनट) टंकन दक्षता अनिवार्य।	18,000/–

प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्मिक जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर, निविदा के माध्यम से लिये जाने पर संवेदक हेतु कन्सलटेन्सी फीस (1 से 7.5 प्रतिशत के मध्य) रखी जाकर, न्यूनतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कन्सलटेन्सी फीस स्वीकार की जानी प्रस्तावित है।

नगर नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा अस्थाई आधार पर 39,300/– प्रतिमाह में सहायक नगर नियोजक (आर्किटेक्चर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक) हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण में ज0वि0प्रा0 की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन अनुसार, अरबन प्लानर/वास्तुविद (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 35,000/– अथवा 30,000/– व कर अतिरिक्त), जी.आई.एस. विशेषज्ञ (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 30,000/– अथवा 21,000/– व कर अतिरिक्त), ऑटोकैड ऑपरेटर (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 15,000/– व कर अतिरिक्त) निविदा के माध्यम से लिये जा रहे हैं।

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण, प्रचलित बाजार दर का तुलनात्मक अध्ययन उपरांत उपरोक्त कार्य हेतु दक्ष कार्मिकों को सारणी में उल्लेखित पारिश्रमिक बीडा हित में निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) में निविदा के माध्यम से लिये जाने वाले विशेष दक्षता, कौशल रखने वाले व्यक्तियों या सलाहकारों, यथा अरबन प्लानर/वास्तुविद, जी. आई.एस. विशेषज्ञ, ऑटोकैड ऑपरेटर, तकनीकी सहायक (अभियंता), कार्यालय सहायक, लेखा सहायक एवं तकनीकी सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) हेतु उपरोक्तानुसार पारिश्रमिक निर्धारित किये जाने के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

***निर्णय** : कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) में निविदा के माध्यम से लिये जाने वाले विशेष दक्षता, कौशल रखने वाले व्यक्तियों या सलाहकारों, यथा अरबन प्लानर/वास्तुविद, जी. आई.एस. विशेषज्ञ, ऑटोकैड ऑपरेटर, तकनीकी सहायक (अभियंता), कार्यालय सहायक, लेखा सहायक एवं तकनीकी सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) हेतु प्रस्तावानुसार पारिश्रमिक निर्धारित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।*

06. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में प्रचलित मास्टर प्लान, ग्रेटर भिवाड़ी–2041 का जोनल डेवलपमैंट प्लान खुली निविदा के माध्यम से Consultant द्वारा बनवाये जाने के संबंध में–

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक : एफ18(35) UDD/sector plan/2015/2967–3207 दिनांक 04.04.2019 के आदेशानुसार मास्टर प्लान के प्रस्तावों व नीतियों की प्रभावी ढंग से क्रियान्विति किये जाने हेतु विस्तृत जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने की आवश्यकता को अंकित किया है।

जोनल डवलपमेंट प्लान, नगरीय विकास को सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए विस्तृत नियम और दिशा–निर्देश प्रदान करता है और नगरीय विकास को नियोजित तरीके से बढ़ावा देता है। नगरीय क्षेत्र में सतत् विकास हेतु समस्त आधारभूत सुविधाएँ स्थानीय पहुँच में उपलब्ध कराकर स्थानीय निवासियों को लाभान्वित किये जाने हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का जोनल डवलपमेंट प्लान में चिन्हीकरण कर उपलब्ध कराया जाना जोनल डवलपमेंट प्लान का प्रमुख उदेश्य है।

माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य हेतु विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये है। जो उपर्युक्त आदेश

में भी अंकित है। उक्त आदेश के क्रम में उल्लेखित है कि जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक निकाय क्षेत्र की जोन सीमा (Zone Boundary) का परिसीमन कर आगामी कार्यवाही की जानी है।

जोनल डवलपमैंट प्लान में वर्तमान में प्रचलित मास्टर प्लान की भू–उपयोग योजना को अध्यारोपित (Superimpose) कर प्रमुख भू–उपयोग यथावत् रखते हुए विभिन्न स्थलों पर मौका स्थिति के कारण हुए वर्तमान भू–उपयोगों व मास्टर प्लान में दर्शित भू–उपयोग से भिन्न हो चुके भू–उपयोग के विश्लेषण हेतु पृथक से मानचित्र भी तैयार किया जायेगा। जोनल डवलमेट प्लान के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 04.09.2019 के अनुसार कार्य को 10 चरणों में 275 दिवस में इन–हाउस या आउटसोर्स के माध्यम से कराया जाना है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत् प्रथम चरण में भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण में प्रचलित मास्टर प्लान, ग्रेटर भिवाड़ी–2041 के अन्तर्गत जोनल डेवलपमैंट प्लान (ZDP) तैयार किया जाना है, जिसके क्रम में सम्पूर्ण प्रचलित मास्टर को विभिन्न जोन में विभाजित कर मुख्य नगर नियोजक (NCR) से अनुमोदित करवाया गया है।

वर्तमान में प्राधिकरण में नगर नियोजन शाखा में जोनल डवलमेट प्लान के कार्य को इन–हाउस बनाये जाने योग्य कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण प्रचलित मास्टर प्लान, ग्रेटर भिवाड़ी–2041 का जोनल डवलमेट प्लान खुली निविदा के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं (Consultant) द्वारा बनवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में प्रचलित मास्टर प्लान, ग्रेटर भिवाड़ी–2041 का जोनल डेवलपमैंट प्लान खुली निविदा के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं Consultant द्वारा बनवाये जाने के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

***निर्णय** : कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में प्रचलित मास्टर प्लान, ग्रेटर भिवाड़ी–2041 का जोनल डेवलपमैंट प्लान खुली निविदा के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं Consultant द्वारा बनवाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।*

07. भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) से संबंधित माननीय अधीनस्थ न्यायालयों एवं उच्चतर न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की पैरवी हेतु कार्यरत अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक निर्धारित किये जाने के कम में।

भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) के विरूद्व विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों व उच्चतर न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में प्राधिकरण की ओर से पैरवी हेतु भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा समय समय पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तिजारा, बहरोड़ व अलवर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी हेतु राशि रूपये 5,000/– प्रतिमाह पर अधिवक्ता नियुक्त है तथा उच्चतर न्यायालयों में प्राधिकरण की ओर से पैरवी हेतु प्रकरण की गंभीरता, महत्ता व निहित वित्तीय हित के अनुसार अधिवक्ता की मांग अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY REGULATIONS, 1999 में संशोधित अधिनियम 2017 के नियम 22 में निम्नानुसार पारिश्रमिक देय है –

22. Honorarium payable to Legal Practitioner on the Panel –
(1) The concerned Committee/ District Authority shall prepare a panel of legal practitioners who are prepared to represent or plead the case on behalf of the persons provided with legal aid under these regulations.

(2) In the first instance Endeavour shall be made to arrange services of the Legal Practitioner on honorarium basis. If such services cannot be so arranged or cannot be so arranged without providing assistance by another legal practitioner, the concerned Committee/District Authority may appoint a legal practitioner and pay the fee at the following rates –

a) Court of Tehsildar, Executive Magistrate, Civil Judge – cum -Judicial Magistrate, Sub Divisional Officer, Assistant Collector and other equivalent court etc. Rs. 6000/- per case and expenses of Rs. 1000/- per case in addition to fee prescribed.

b) Court of Collector-cum-District Magistrate, Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Senior Civil Judge cum Chief Judicial Magistrate and Senior Civil Judge cum Additional Chief Judicial Magistrate, Revenue Appellate Authority and other similar Tribunals Rs. 9000/- and expenses Rs. 1000/- per case.

c) Court of District & Sessions Judge, Additional District and Sessions Judge, Rs. 13,500/ - and expenses Rs. 1000/- per case.

d) High Court Rs. 16,500/- and expenses Rs. 2000/- per case.

e) In any case for reasons to be recorded in writing it is considered by the Chairman to be of such nature/importance requiring payment of higher fees to the legal practitioner, may pay higher fees as it deems fit.

उक्त नियम अनुसार जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश तथा राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को रू 9000/– तथा रू 1000/– खर्चे के प्रति प्रकरण निर्धारित हैं। जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में रू 13000/– तथा रू. 1000/– खर्चे के प्रति प्रकरण निर्धारित हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालय में रू 16,500/– तथा रू. 2000/– खर्चे के प्रति प्रकरण निर्धारित है तथा सम्बन्धित कमेटी के चेयरमैन को इससे अधिक फीस संदाय करने का भी कतिपय परिस्थितियों में अधिकार है।

न्यास अलवर की 296वीं बैठक दिनांक 26.10.2020 में लिये गये निर्णयानुसार अधीनस्थ एवं उच्चतर न्यायालयों में अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक एवं विविध खर्चों का संदाय निम्नानुसार किया जा रहा है –

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मेहनताना फीस विविध	विविध खर्चा	कुल देय रकम
1.	उच्चतम न्यायालय दिल्ली	सम्बंधित अधिवक्ता की मांग के अनुरूप	वास्तविक लागत	तदानुसार
2.	उच्च न्यायालय	10,000/–	3,500/–	13,500/–
3.	वक्फ अधिकरण, जयपुर	5,500/–	2,000/–	7,500/–
4.	संभागीय आयुक्त, जयपुर	6,000/–	2,000/–	8,000/–
5.	राजस्व मण्डल, अजमेर	7,100/–	2,000/–	9,100/–
6.	राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर	6,000/–	2,500/–	8,500/–
7.	राज0 सिविल सर्विस अपीलीय अधिकरण, जयपुर	6,000/–	2,500/–	8,500/–
8.	जिला अलवर में स्थित समस्त अधीनस्थ न्यायालय	15,000/– (फिक्स प्रति माह)	–	15,000/– (फिक्स प्रति माह)

उपरोक्त के अलावा यदि किसी भी अन्य प्रकरण में जिसमें न्यास, अलवर का विशेष वित्तीय हित या नीतिगत हित निहित होता है, तो उक्त प्रकरण में विशेष फीस उच्च प्रशासनिक निर्णय के अनुमोदन के पश्चात् देय है।

भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा वर्तमान में पैरवी हेतु अधिवक्ताओं का पैनल निर्धारित नही है। अपितु तिजारा, बहरोड़ व अलवर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी हेतु राशि रूपये 5,000/– प्रतिमाह पर अधिवक्ता नियुक्त है तथा उच्चतर न्यायालयों में अधिवक्ता की मांग अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

प्राधिकरण की द्वितीय बैठक दिनांक 23.08.2019 में लिये गये निर्णयानुसार अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी हेतु कार्यरत् अधिवक्ताओं की समयावधि आगामी एक वर्ष तक बढाते हुये भविष्य में अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करने का निर्णय लिया गया है तथा वादो में पैरवी हेतु अधिवक्ताओं के प्रतिफल भुगतान हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया है।

प्राधिकरण की द्वितीय बैठक दिनांक 23.08.2019 में लिये गये निर्णयानुसार अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया जाकर न्यास, अलवर की तर्ज पर अधिवक्ताओं को दिया जाने वाला पारिश्रमिक एवं विविध खर्चों के भुगतान की दर निर्धारित करने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव नियत है –

i) समस्त अधीनस्थ एवं उच्चतर न्यायालयों में प्राधिकरण के विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी हेतु अधिवक्ताओं की न्यूनतम वांछित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि के साथ संबंधित क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव रखा जाना प्रस्तावित है।

ii) प्राधिकरण द्वारा अलवर जिले में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी हेतु पूर्वानुसार मासिक आधार पर अधिवक्ता नियुक्त किये जाने प्रस्तावित है।

iii) अधीनस्थ एवं उच्चतर न्यायालयों में अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक एवं विविध खर्चों का संदाय प्रति प्रकरण निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है –

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मेहनताना फीस विविध	विविध खर्चा	कुल देय रकम
1.	उच्चतम न्यायालय दिल्ली	सम्बंधित अधिवक्ता की मांग के अनुरूप	वास्तविक लागत	तदानुसार
2.	उच्च न्यायालय	10,000/–	3,500/–	13,500/–
3.	वक्फ अधिकरण, जयपुर	5,500/–	2,000/–	7,500/–
4.	संभागीय आयुक्त, जयपुर	6,000/–	2,000/–	8,000/–
5.	राजस्व मण्डल, अजमेर	7,100/–	2,000/–	9,100/–
6.	राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर	6,000/–	2,500/–	8,500/–
7.	राज0 सिविल सर्विस अपीलीय अधिकरण, जयपुर	6,000/–	2,500/–	8,500/–
8.	जिला अलवर में स्थित समस्त अधीनस्थ न्यायालय	3,000/–	500/–	3,500/–
9.	जिला अलवर में स्थित समस्त अधीनस्थ न्यायालय (फिक्स प्रति माह की स्थिति में)	10,000/– (फिक्स प्रति माह)	–	10,000/– (फिक्स प्रति माह)

iv) यदि किसी भी अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण जिसमें प्राधिकरण का विशेष वित्तीय हित या नीतिगत हित निहित हो, तो उक्त प्रकरण में विशेष फीस, प्राधिकरण स्तर पर गठित विशेष पैरवी फीस निर्धारण समिति के अनुमोदन पश्चात् देय होगी।

v) प्राधिकरण स्तर पर गठित विशेष पैरवी फीस निर्धारण समिति में विधिक प्रभारी, लेखा शाखा, बीडा भिवाड़ी का वरिष्ठतम अधिकारी एवं प्रकरण से संबंधित प्रभारी अधिकारी को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्राधिकरण की द्वितीय बैठक दिनांक 23.08.2019 में लिये गये निर्णयानुसार अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करने एवं उपरोक्त बिंदू संख्या i) से v) में वर्णितानुसार नियत करने के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय *: कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की द्वितीय बैठक दिनांक 23.08.2019 में लिये गये निर्णयानुसार अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करने, अधिवक्ताओं को देय पारिश्रमिक व विविध खर्चों का संदाय एवं प्रस्ताव में वर्णित बिंदू संख्या i) से v) को स्वीकृत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।*

08. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी में नवीन पद सृजन की स्वीकृति बाबत–

भिवाडी शहर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने हेतु प्राधिकरण की लेखा शाखा एवं तकनीकी शाखा हेतु निम्नानुसार नवीन पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है –

क्र. सं.	प्रस्तावित पद का नाम	वेतन श्रृंखला	प्रस्तावित नवीन पदों की संख्या	वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या	भर्ती का माध्यम	विशेष विवरण
1	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	L-11 9300-34800 G.P 4200/-	01	–	प्रतिनियुक्ति	कोष एवं लेखा विभाग के कैडर स्ट्रैंथ में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित
2	कनिष्ठ लेखाकार	L-10 9300-34800 G.P 3600/-	01	02	प्रतिनियुक्ति	कोष एवं लेखा विभाग के कैडर स्ट्रैंथ में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित
3	सहायक प्रोग्रामर	L-10 9300-34800 G.P 3600/-	01	01	पदोन्नति	विभागीय (बीडा) कैडर सृजित नही होने तक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति प्रस्तावित
4	सूचना सहायक	L-08 5200-20200 G.P 2800/-	02	02	सीधी भर्ती	विभागीय (बीडा) कैडर सृजित नही होने तक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति प्रस्तावित

उपरोक्त प्रस्तावित नवीन पदों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान राज्य सरकार के स्तर से वहन नही किया जाकर, भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की निजी आय से ही किया जायेगा।

बीडा भिवाड़ी के कार्यालय की आवश्यकतानुसार प्रस्तावित नवीन पदों के राज्य सरकार स्तर से सृजन कराने से पूर्व कार्यकारिणी समिति में सहमति प्राप्त करने के संबंध में प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

***निर्णय** : कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी के कार्यालय की आवश्यकतानुसार प्रस्तावित नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।*

09. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में लेखा संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता, कौशल रखने वाले व्यक्तियों या सलाहकारों की सेवायें सेवाप्रदाताओं द्वारा निविदा के माध्यम से लिये जाने के संबंध में –

भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में लेखा संबंधी कार्य हेतु वाणिज्य स्नातक बीडा से संबंधित लेखा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु लेखा सहायकों की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं द्वारा निविदा के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है।

अतः भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में लेखा संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता, कौशल रखने वाले व्यक्तियों या सलाहकारों की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं द्वारा निविदा के माध्यम से लिये जाने के निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

***निर्णय** : कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में लेखा संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता, कौशल रखने वाले व्यक्तियों या सलाहकारों की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं द्वारा निविदा के माध्यम से लिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।*

10. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु –

i) भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में कार्यकारिणी समिति में लेखा शाखा का प्रतिनिधित्व न होने के कारण बीडा भिवाड़ी में पदस्थापित लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी को बीडा की कार्यकारिणी समिति की वर्तमान व आगामी सभी बैठकों में वि0 आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

उप सचिव
भि.इं.वि.प्रा. भिवाडी
दिनांक : 26/02/2021

क्रमांक : BIDA/2021/PA/1151 – 1160
प्रतिलिपि :

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा भिवाड़ी।
3. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), जयपुर।
4. उपखण्ड़ अधिकारी, तिजारा।
5. आयुक्त, नगर परिषद, भिवाड़ी।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीडा भिवाड़ी।
7. उपमहाप्रबंधक, रीको द्वितीय, भिवाड़ी।
8. अधिशाषी अभियंता, बीडा भिवाड़ी।
9. क्षेत्रीय प्राधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी।
10. कार्यालय प्रति।

उप सचिव
भि.इं.वि.प्रा. भिवाडी